संख्या-317/2025/213 के-2/22-3-2024-17(952)/2021

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 21 जुलाई, 2025

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बुद्धसेन पुत्र श्री बिहारीलाल, निवासी जनपद-पीलीभीत की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-20367/प्रो0अनु**0(2)**-252/2023 (बैठक दिनांक 06-07-2023), दिनांक 08.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बुद्धसेन पुत्र श्री बिहारीलाल, जो ग्राम-मोहम्मदगंज रम्पुरा, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। बन्दी के सहअभियुक्त रामस्वरूप की पत्नी प्रधानी के चुनाव में हार जाने के कारण बन्दी ने रंजिशन अपने 36 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होली मिलन के अवसर पर बन्दूक, देशी तमंचा, बांका, सूजा, लाठी, बल्लम से हमला कर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 07 अन्य लोगों को घायल कर दिया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-212/2002, 217/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 436/149, 307/149, 302/149, 506 व 7 ला क्रिमिनल अमेण्डमेन्ट एक्ट, 4/25 आर्म्स एक्ट में मा0 न्यायालय, स्पेशल जज एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत करते हुए आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, भविष्य में अपराध किये जा सकने, जेल से बाहर आने पर पुन: घटना घटित कर सकने, बंदी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सलाहकार समिति द्वारा बन्दी के सहअभियुक्त रामस्वरूप की पत्नी प्रधानी के चुनाव में हार जाने के कारण बन्दी ने रंजिशन अपने 36 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होली मिलन के अवसर पर बन्दूक, देशी तमंचा, बांका, सूजा, लाठी, बल्लम से हमला कर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 07 अन्य लोगों को घायल कर दिया गया। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। बन्दी कारागार से रिहा होने पर भविष्य में पुन: अपराध कारित किये जाने, बंदी की उम्र 44 वर्ष, 10 माह, 20 दिन होने, अपराध करने में शारीरिक रूप से सशक्त होने, बंदी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बुद्धसेन पुत्र श्री बिहारीलाल को उ0प्र0 जेल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बुद्धसेन (बंदी संख्या-17093) पुत्र श्री बिहारीलाल, निवासी जनपद-पीलीभीत की सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 सपठित जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारगार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (किमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-4/2021 पालिसी स्ट्रेटजी फार ग्राण्ट ऑफ बेल एवं रिट याचिका संख्या-225/2021 पातीराम व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।